न्यायालय उपखण्डाधिकारी बसेडी

प्रकरण संख्या 04/2018

राजस्थान सरकार

....प्रार्थी

बनाम्

कमलेश पत्नी श्री भीकमसिंह जाति ब्राम्हण निवासी सिंगना का नगला

.....................................अप्रार्थीगण

पीठासीन अधिकारी जयसिंह आर.ए.एस.

निर्णय

दिनांक 03.04.2018

हस्तगत प्रकरण के तथ्य शूक्ष्म में इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार बसेडी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत कर श्रीमती कमलेश पत्नी श्री भीकमसिंह जाति ब्राम्हण निवासी सिंगना का नगला द्वारा राजस्थान ग्रामीण वैक जारगा से भूमि रहन का कर्जा लिया था जिसका नामा0 संख्या 26 दिनांक 20.10.2010 बाके ग्राम सिंगना का नगला पटवार मण्डल ममोधन तहसील वसेडी रहन नामा राजस्थान ग्रामीण बैक शाखा जारगा के स्थान पर बसेडी अंकित कर दिया है को शुद्व कर जारगा करने का निवेदन किया है ।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया गया, मेरे द्वारा पेरोकार सरकार की एक पक्षीय बहस सुनी गई, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य में नकल नामान्तरकरण, नकल जमाबन्दी, नकल रहन नामा का अवलोकन किया गया। एक पक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी शाक्ष्य के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट स्वीकार करना उचित समझते है ।

अतः आदेश है कि नामा0 संख्या 26 दिनांक 20.10.2010 बाके ग्राम सिंगना का नगला पटवार मण्डल ममोधन तहसील वसेडी रहन नामा राजस्थान ग्रामीण बैक शाखा बसेडी के स्थान पर जारगा करने के आदेश प्रदान किये जाते है । तहसीलदार बसेडी को तहरीर जारी हो ।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

जयसिंह

उपखण्डाधिकारी बसेडी